चोइथराम फल-सब्जी मंडी में लहसुन नीलामी की नई व्यवस्था, 26 फरवरी से अब तक 6 लाख क्विंटल नीलाम

3 माह में 4.21 करोड़ आए खजाने में, किसानों को 1% लग रहा शुल्क

भास्कर संवाददाता | इंदौर

चोइथराम फल एवं सब्जी मंडी में लहसुन की नीलामी करीब 3 माह से सीधे मंडी समिति कर रही है। इस नई व्यवस्था के लागू होने से किसानों और मंडी समिति दोनों को फायदा हो रहा। 26 फरवरी से 15 जून तक करीब 6 लाख क्विंटल लहसुन की नीलामी हुई। इससे मंडी को 4 करोड़ 21 लाख रुपए शुल्क मिला। अब तक मंडी प्रांगण में गीले-सूखे लहसुन की बिक्री आढ़तिए और मंडी कर्मचारी करते थे। इसके एवज में किसानों को 5 प्रतिशत तक शुल्क देना पड़ता था। आढ़त के जरिए 9 वर्ष से लहसुन की खरीदी-बिक्री हो रही थी, जबकि मंदसौर, नीमच, पिपलिया समेत प्रदेश की अन्य मंडियों में सरकारी बोली से लहसुन नीलाम हो रहा है। मंडी समिति की अनुशंसा पर मंडी बोर्ड ने 2015 से इंदौर में आढ़त से नीलामी शुरू की थी, लेकिन 2017 में किसानों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर गुहार लगाई थी कि लहसुन की खरीदी-बिक्री सरकारी बोली और कर्मचारियों के माध्यम से कराई जाए।

कोर्ट का आदेशः मंडी खरीदी-बिक्री सरकारी बोली के माध्यम से कराई जाए

याचिका का निराकरण करते हुए 7 साल बाद 6 फरवरी 2024 को हाई कोर्ट की डबल बेंच ने मंडी समिति और मंडी बोर्ड का निर्णय खारिज कर आदेश जारी किया कि इंदौर मंडी में मंडी एक्ट के अनुसार ही लहसुन की खरीदी-बिक्री सरकारी बोली के माध्यम से कराई जाए। इसके बाद 26 फरवरी से मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल के आयुक्त सह प्रबंध संचालक के निर्देश पर मंडी में लहसुन की नीलामी-बिक्री की व्यवस्था बदली गई। साथ ही उज्जैन, बदनावर, सीहोर, आष्टा, शाजापुर और भोपाल में भी आढ़त प्रथा बंद की गई।

लहसुन की आवक व मंडी शुल्क

माह	आवक	मंडी शुल्क
फरवरी	64364	5142132
मार्च	259162	16143120
अप्रैल	141451	9968583
मई	102390	8286596
जून	32152 क्विं.	2633561
कुल	599519	42173992

मंडी प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार

सिर्फ एक प्रतिशत लग रहा मंडी शुल्क- हाई कोर्ट के आदेश के बाद मंडी में लहसुन की नीलामी मंडी प्रशासन ने करवाना शुरू की। शुरू में इस आदेश का कुछ आढ़तियों ने विरोध किया क्योंकि पहले किसान 5 प्रतिशत शुल्क आढ़तियों या दलालों को दे रहे थे, लेकिन सरकारी नीलामी में सिर्फ एक प्रतिशत शुल्क देना पड़ रहा। किसान अब किसी दलाल या आढ़तिए से सौदा किए बगैर सीधे मंडी समिति को उपज बेच रहे हैं।

किसानों को सीधा फायदा, खजाना 70 फीसदी बढ़ा- आदेश के पहले मंडी में आने वाला 25 प्रतिशत माल तो मंडी समिति के पास जाता था जबकि 75 प्रतिशत या उससे अधिक आढ़तिये नीलाम करवा रहे थे। वर्तमान में लहसुन की फसल खेतों से सीधी आ रही है। लहसुन गीला होने के बावजूद अच्छे दाम में बिका। सरकारी खरीदी में बोली लगने से व्यापारियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और किसानों को बेहतर दाम मिलने लगा। वहीं सरकारी नीलामी से मंडी समिति का खजाना 70 फीसदी तक बढ़ गया है। अब तक मंडी में किसानों की मर्जी पर निर्भर होता था कि वे लहसुन की नीलामी या तो मंडी समिति से करवा लें या आढ़तियों के पास माल ले जाकर उनसे करवाएं।

हक मारा जा रहा था

मंडी एक्ट के नियमों के विपरीत मंडी में आढ़तिए किसानों का माल बेचकर मुनाफा कमा रहे थे जबकि किसानों को उनका हक नहीं मिल पा रहा था। हमने इस संबंध में हाई कोर्ट में याचिका लगाकर लंबी लड़ाई लड़ी। फैसला हमारे पक्ष में आया और मंडी में नियमानुसार नीलामी शुरू हुई। इससे किसानों के साथ ही मंडी समिति को भी लाभ हुआ।

- मुकेश सोमानी, याचिकाकर्ता

आदेश से दोनों को फायदा

हाई कोर्ट के आदेश पर 26 फरवरी से लहसुन मंडी समिति द्वारा नीलामी कर रहे हैं। इस दौरान आवक अच्छी होने से रिकॉर्ड लहसुन बेचा गया। मंडी प्रशासन की आय में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई।

- नरेश परमार, सचिव, मंडी प्रशासन

दो दर्जन से अधिक हथियार हरियाणा, यूपी, दिल्ली, पंजाब में खपा चुके आरोपी

सिकलीगर से पिस्टल खरीदकर दिल्ली जा रहे 4 बदमाश गिरफ्तार

भास्कर संवाददाता | इंदौर

क्राइम ब्रांच ने दिल्ली के चार बदमाशों को सरवटे की एक होटल से पकड़ा है। आरोपियों के पास से 5 देसी पिस्टल और 2 कारतूस मिले हैं। ये खरगोन के एक सिकलीगर से हथियार लेकर आए थे। आरोपी अवैध हथियार दिल्ली-हरियाणा, यूपी और पंजाब में सप्लाय करते थे।

एडि. डीसीपी राजेश दंडोतिया की टीम ने साबिर पिता यासीन, वेस्ट, नवीन उर्फ तरुण, विकास उर्फ विक्कू टांक और संजीव कुमार उर्फ सचिन शर्मा सभी निवासी दिल्ली को श्याम विला होटल के पास से पकड़ा है। तलाशी में आरोपियों के पास से 5 देसी पिस्टल और 2 कारतूस मिले हैं। क्राइम ब्रांच की टीम अभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

क्राइम ब्रांच के मुताबिक आरोपी खरगोन, खंडवा से पिस्टल और कट्टे लेते थे। इन्हें दिल्ली और पंजाब के बदमाशों को सप्लाय करते थे। ये पहले भी इंदौर आकर होटल में ठहरे और हथियार लेकर चले गए। क्राइम ब्रांच ने तीसरी बार सरवटे इलाके में कार्रवाई की है। इससे पहले दो बार यहां से बिश्नोई गैंग के शूटरों के साथ अन्य सिकलीगर पकड़े गए हैं।

लूट, डकैती कर इलाके में रौब जमाते थे

आरोपी साबिर 10वीं तक पढ़ा है। इसके बाद लूट, डकैती करे में लग गया। साबिर अपने साथी अमन, मोहसिन, आदित्य, हिमांशु और अन्य को पिस्टल सप्लाय करता था। इन्हीं हथियारों के दम पर दिल्ली में लूट, डकैती करते थे। नवीन को दिल्ली में बदमाशी करने का शौक है, वह लोगों को डरा-धमकाकर वसूली करने लगा। नवीन ने एक हत्या कर कुछ हत्या के प्रयास कर सुल्तानपुरी में अपनी गैंग बना ली।

कोर्ट-थाने से छुड़ाने में मदद करता है

आरोपी संजीव का दिल्ली व सुल्तानपुरी क्षेत्र में सामाजिक स्तर पर नाम है। इसी वजह से वह इन सभी आरोपियों को थाने और कोर्ट से छुड़वाने में मदद करता था। सभी आरोपी दिल्ली-गुड़गांव और हरियाणा के गैंगस्टर्स की सोशल मीडिया पर रील देखकर प्रभावित थे।

संभाग के ग्रामीण अंचलों में फिर मेगा हेल्थ कैंप, जुलाई से 15 अगस्त तक पहला चरण

पूर्व संभागायुक्त मालसिंह के बाद अब दीपक सिंह ने भी शुरू करवाई तैयारियां

भास्कर संवाददाता | इंदौर

संभाग के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में मेगा हेल्थ कैम्प के आयोजन फिर से होंगे। पूर्व संभागायुक्त मालसिंह ने इसकी शुरुआत विधानसभा चुनाव से पहले की थी। अब नवागत संभागायुक्त दीपक सिंह ने भी इसे लेकर रुचि दिखाई है। इन हेल्थ कैंप में दूरस्थ अंचल के लोगों को विभिन्न बीमारियों की स्वास्थ्य जांच, चिकित्सकीय परामर्श, अत्याधुनिक मशीनों से जांच व बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

कैंप को लेकर संभागायुक्त ने बैठक ली और दूरस्थ क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने संबंधित निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन कैंप में कैंसर, सिकलसेल, टीबी, लेप्रोसी, सिलीकोसिस, दंत, नेत्र सहित अन्य गंभीर बीमारियों और प्रभावितों का स्वास्थ्य परीक्षण, जांच व दवाई दी जाएगी। शिविर में चिह्नांकित विभिन्न बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों के इलाज, ऑपरेशन आदि की आगे की कार्रवाई की जाए। इंदौर मेडिकल कॉलेज के तहत इंदौर, धार, झाबुआ और आलीराजपुर जिले और खंडवा मेडिकल कॉलेज से खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर व बड़वानी जिले में मेगा हेल्थ कैम्प होंगे। जुलाई के पहले सप्ताह से 15 अगस्त के बीच इन कैंप का पहला राउंड पूरा होगा। प्रत्येक जिले में कैंप आयोजन के बाद फॉलोअप अनिवार्य रूप से किया जाए। कैम्पों में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ दिव्यांगजन के मेडिकल प्रमाण पत्र, सामाजिक न्याय विभाग की योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। शिविर में आयुर्वेद विभाग द्वारा भी सेवाएं दी जाए।

उन्होंने चिकित्सकों से चर्चा करते हुए शिविर में बेहतर सेवाएं प्रदान करने संबंधित सुझाव भी प्राप्त किए। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह, ईडी-एमपीआईडीसी सपना जैन, संचालक लोक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. आरसी पनिका, संयुक्त संचालक आयुष डॉ. रमेश भायल, संयुक्त संचालक आयुर्वेद डॉ. नायक, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय सुचिता बेक तिर्की, डॉ. बीएस सैत्या, अरबिंदो मेडिकल कॉलेज के डॉ. विनोद भंडारी, राजीव सिंह, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज व रिसर्च सेंटर की डॉ. स्वाति प्रशांत, एलएनसीटी डीन डॉ. साधना संवत्सरकर, कैंसर हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के डॉ. रमेश आर्य, शा. डेंटल कॉलेज की डॉ. संध्या जैन, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई के डीके शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

होटल में रुके दंपती, 1 लाख का चेक दिया, बाउंस हुआ

इंदौर | तुकोगंज स्थित होटल में बेंगलुरु से आए दंपती ने होटल प्रबंधन के साथ 1 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की है। उन्होंने 15 दिन रुकने का बिल चेक के रूप में दिया था। चेक बाउंस हुआ तो उनसे संपर्क किया, लेकिन फोन बंद है।

पुलिस के मुताबिक घटना आरएनटी मार्ग स्थित होटल श्रीमाया की है। संचालक बंशीलाल मालवीय की रिपोर्ट पर सुमंत और सुहाना सुमंत निवासी बेंगलुरु के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। मालवीय ने बताया दंपती 5 मई को होटल में ठहरने आए थे। सुमंत ने पत्नी सुहाना को इंदौर घुमाने लाने की बात कहकर रूम नंबर 312 बुक किया था। होटल आते ही उन्होंने 50 हजार रुपए दे दिए थे। वे 22 जून तक होटल में ठहरे और शेष राशि 1 लाख 776 रुपए का एक चेक हमें दे गए। चेक जब बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया। दंपती के खाते में इतने रुपए ही नहीं थे। उन्होंने मोबाइल भी बंद कर लिए हैं। पुलिस इनकी तलाश कर रही है।

फर्म बनाकर काम शुरू किया, माल ले लिया, रुपए नहीं दिए, प्रकरण दर्ज

इंदौर | बाणगंगा क्षेत्र में एक कंपनी संचालक के खिलाफ पार्टनरशिप में काम कर रहे दूसरे संचालक ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। कहा कि आरोपी ने फर्म बनाकर काम शुरू किया, माल ले लिया, लेकिन रुपए नहीं दिए।

पुलिस ने राधेश्याम काबरा निवासी द रेसीडेंसी बिचौली मर्दाना की शिकायत पर प्रवीण पटेल, महक निवासी स्नेह नगर के खिलाफ धोखाधड़ी केस दर्ज किया है। राधेश्याम ने बताया सांवेर रोड पर अगरबत्ती को परफ्यूम डिप करने का काम करते हैं। उनके सामने द्वारका अगरबत्ती कंपनी है। आमने-सामने होने से माल का लेनदेन शुरू हुआ था, लेकिन सामने वाले ने धोखाधड़ी की।

महिला ने पाल रखे 20-25 कुत्ते, बड़ों और बच्चों का घर से निकलना मुश्किल

इंदौर | लसूड़िया इलाके की विस्तारा टाउनशिप में एक महिला ने 20-25 कुत्ते पाल रखे हैं। इसके चलते रहवासियों का वहां से निकलना मुश्किल हो गया है। क्योंकि वे कभी भी आक्रामक हो जाते हैं।

पुलिस ने रहवासियों की शिकायत पर भारती चौधरी के खिलाफ केस दर्ज किया है। दो दिन पहले भागीरथ चौधरी ने आवेदन दिया था कि महिला ने 25 कुत्तों को कॉलोनी में रखा है। वह इन्हें एक साथ घुमाने, शौच कराने ले जाती है। इस दौरान सभी कुत्ते आक्रमक होकर कॉलोनी से गुजरते हैं। इसके चलते कॉलोनी में रहने वाले लोग डरकर घर में बंद हो जाते हैं, बच्चों का भी घर से निकलना मुश्किल है। आरोप है कि भारती ने मरे हुए कुत्तों को कॉलोनी परिसर में दफना दिया था। अब उससे संक्रमण व बदबू फैल रही है।

सीतलामाता व नृसिंह बाजार से कब्जे हटाए

इंदौर | प्रशासन, नगर निगम व ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को संयुक्त अभियान चलाकर सीतलामाता बाजार, नृसिंह बाजार क्षेत्र से सड़कों व फुटपाथ पर लगी दुकानें व सामान हटाए।

एसडीएम प्रदीप सोनी, यातायात पुलिस के संत बहादुर सिंह व रिमूवल टीम ने पूरे बाजार में कार्रवाई की। टीम ने नृसिंह बाजार से फुटपाथों के कब्जे हटाना शुरू किए। इसके बाद टीम कपड़ा बाजार, गोरा कुंड क्षेत्र में बड़े पैमाने पर फुटपाथों पर रखी प्रचार सामग्री जब्त की। सड़कों पर खड़े वाहनों पर भी कार्रवाई की गई। खजूरी बाजार और राजबाड़ा क्षेत्र में अनाउंसमेंट कर दुकानदारों को फुटपाथ और दुकान के बाहर रखा सामान हटाने की हिदायत दी गई। इसके बाद भी कई लोग नहीं माने तो सामान जब्त कर लिया गया।

खाद-बीज व खाद्य सामग्री बेचने वालों पर कार्रवाई

इंदौर | नापतौल विभाग ने संयुक्त जांच अभियान चलाकर खाद-बीज कारोबारियों व खाद्य सामग्री बेचने वालों पर कार्रवाई की। उप नियंत्रक एसए खान के अनुसार मानसून के साथ ही खाद-बीज की बिक्री शुरू हो गई है। इनके पैकेट पर नियमानुसार जानकारी नहीं देने की शिकायतें मिल रही थीं। बुधवार को सघन जांच अभियान चलाकर कई दुकानों पर जांच की गई। इसमें इंदौर, राऊ व महू में अभियान चलाया। देखा कि खाद-बीज व कीटनाशक दवाइयों के पैकेट्स पर जरूरी सूचनाएं ही दर्ज नहीं हैं। 8 संस्थानों पर प्रकरण दर्ज किए गए। इसमें 6 पैकेज राज्य के बाहर एवं 2 प्रकरण राज्य के निर्माताओं के खिलाफ हैं।

इंदौर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष वर्मा हुए घायल

इंदौर | इंदौर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार वर्मा का बुधवार को एक्सीडेंट हो गया। वे घर से कोर्ट जाने के लिए निकले थे, पूर्वी रिंग रोड पर वे पहुंचे थे कि एक वाहन में उनको टक्कर मार दी। उनकी बाईं आंख और पैरों में चोट लगी है। उन्हें तत्काल भर्ती किया गया जहां उपचार के बाद घर भेज दिया।

IRCTC

बाली (इंडोनेशिया), हैदराबाद-मल्लिकार्जुन एवं अंडमान एयर टूर पैकेज के लिए एयर टूर पैकेज चलाएगा आईआरसीटीसी

भारतीय रेलवे के उपक्रम इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के आयोजन की श्रृंखला आगामी माह में विशेष अंतर्राष्ट्रीय बाली (इंडोनेशिया) टूर पैकेज दिनांक 01 सितम्बर 2024 एवं राष्ट्रीय टूर पैकेज हैदराबाद मल्किार्जुन दिनांक 25 जुलाई, 11 अगस्त 2024 एवं अंडमान टूर पैकेज 24 सितम्बर 2024 को इंदौर एयरपोर्ट से फ्लाइट के द्वारा रवाना किये जाएगें। टूर पैकेज में दोनों तरफ का हवाई किराया, डीलक्स होटल मे ठहरने की व्यवस्था, नास्ता एवं रात्रि भोजन, यात्रा बीमा एवं डीलक्स बसों द्वारा स्थानीय भ्रमण करने की सुविधाएं आकर्षक दरों पर सम्मिलित की गई है। इन पैकेजो की बुकिंग आईआरसीटीसी के भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर स्थित कार्यालयों मे जारी है। बुकिंग आईआरसीटीसी की वेबसाइट www.irctctourism.com पर ऑनलाइन भी करा सकते है।

बाली (इंडोनेशिया) टूर पैकेज
प्रस्थान दिनांक : 01 सितम्बर 2024
यात्रा खर्च : ₹ 92,000/- प्र. व्य.
यात्रा अवधि: 5 रातें/6 दिन
भ्रमण स्थल : बाली (उलुवातु मंदिर , किंतमनी, तनाह लोत मंदिर, उबुद)

हैदराबाद-मल्किार्जुन टूर पैकेज
प्रस्थान : 25 जूलाई, एवं11 अगस्त 2024
यात्रा खर्च : ₹ 25,650/- प्र. व्य.
यात्रा अवधि: 3 रातें/4 दिन
भ्रमण स्थल : हैदराबाद, श्री शैलम, मल्किार्जून ज्योतिर्लिंग, रामो जी फिल्म सिटी

अंडमान टूर पैकेज : प्रस्थान दिनांक : 24. 09 .2024 | यात्रा खर्च : ₹ 50,550/- प्रति व्यक्ति | यात्रा अवधि: 5 रातें/6 दिन, भ्रमण स्थल : पोर्ट ब्लेयर, नॉर्थ बे, नेताजी सुभाष चंद्र बॉस द्वीप, स्वराज द्वीप एवं शहीद द्वीप

बुकिंग हेतु संपर्क/व्हाट्सएप करे : 93219 01865, 82879 31721, 8287931726, 9321901866

इंदौर :आईआरसीटीसी, टीएफसी, प्लेट फार्म नं.1 इंदौर रेलवे स्टेशन।

चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति

पर्यावरण भवन, मध्य मार्ग, सेक्टर 19-बी, चंडीगढ़-160019

फोन - 0172- 2700311, ई-मेल- cpcc-chd@nic.in वेबसाइटः cpcc.chd.gov.in

सार्वजनिक सुनवाई हेतु सूचना

सभी संबंधितों की जानकारी हेतु यह सूचित किया जाता है कि परियोजना प्रस्तावक नगर निगम, चंडीगढ़ ने **"डड्डू माजरा, चंडीगढ़ में इंटीग्रेटिड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (आईएसडब्लूएम) फैसिलिटी"** की परियोजना प्रस्तावित की है।

यह परियोजना ईआईए अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 (ई) दिनांक 14 सितंबर, 2006 अधीन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी की गई है तथा इस प्रकार प्रस्तावित परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी अनिवार्य है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक ने पर्यावरण मंजूरी के लिए संबंधित प्राधिकरण को आवेदन किया है।

पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, जैसा कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 (ई), दिनांक 14.09.2006, जैसा कि आज तक संशोधित है, के द्वारा अधिसूचित किया गया है, उपर्युक्त परियोजना प्रस्तावक ने **"डड्डू माजरा, चंडीगढ़ में इंटीग्रेटिड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (आईएसडब्लूएम) फैसिलिटी"** की अपनी प्रस्तावित परियोजना हेतु सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने के लिए चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति को आवेदन किया है। तदनुसार, उपर्युक्त परियोजना के लिए सार्वजनिक सुनवाई 30.07.2024 को कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर-38 (वेस्ट), चंडीगढ़ में सुबह 11 बजे निर्धारित की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत परियोजना के एग्जीक्युटिव समरी एंड ईआईए स्टडी रिपोर्ट की प्रतियां निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध हैं, जिन्हें किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान देखा जा सकता हैः-

1. चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति, पर्यावरण भवन, मध्य मार्ग, सेक्टर 19-बी, चंडीगढ़
2. उपायुक्त, चंडीगढ़, संपदा कार्यालय, सेक्टर-17, चंडीगढ़।
3. नगर निगम, चंडीगढ़, सेक्टर-17, चंडीगढ़
4. निदेशक, उद्योग, चंडीगढ़, प्लॉट नंबर 39, फेस-II, औद्योगिक क्षेत्र, चंडीगढ़।
5. पर्यावरण और वन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय, सेक्टर- 31, चंडीगढ़।

सभी संबंधितों को प्रस्तावित परियोजना पर सुझाव, विचार, टिप्पणियां और आपत्तियां, यदि कोई हों, तो इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर सदस्य सचिव, चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति, पर्यावरण भवन, मध्य मार्ग, सेक्टर 19-बी, चंडीगढ़ को दर्ज करने के लिए नोटिस दिया जाता है। इसके अलावा, ऊपर बताई गई तिथि, समय और स्थान पर एक सार्वजनिक सुनवाई भी आयोजित की जाएगी, जिसमें पर्यावरण समूहों, वास्तविक निवासियों और प्रभावित होने की संभावना वाले स्थल पर स्थित अन्य लोगों सहित कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। सार्वजनिक सुनवाई के दौरान मौखिक लिखित सुझाव भी दिए जा सकते हैं।

सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने के लिए कोई टीए/डीए देय नहीं होगा।

सौरभ कुमार, आईएफएस
सदस्य सचिव

HDFC BANK

प्रधान कार्यालय : एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापती बापट मार्ग, लोवर परेल (पश्चिम) मुम्बई - 400 013
क्षेत्रीय कार्यालय : एचडीएफसी बैंक लि., डिपार्टमेंट फॉर स्पेशल ऑपरेशन्स, सावित्री, 597-3/2, जी.सी.एफ. रोड़, सिविल लाईन, जबलपुर (म.प्र.) - 482001.

ई-नीलामी विक्रय सूचना

अचल संपत्तियों की ई-नीलामी बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) नियम 9 (1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत बैंक को बंधक अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी की बिक्री सूचना।

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी मांग सूचना के अनुपालन में बैंक के बकाए नीचे वर्णित ब्याज की वसूली के लिए उसकी बिक्री करने के अधिकार के साथ **एचडीएफसी बैंक लि.** के प्राधिकृत अधिकारी के रुप में अधोहस्ताक्षरी ने निम्नलिखित ऋण खाताओं में निम्नलिखित संपत्तियों का भौतिक कब्जा ले लिया है तथा ऋणी(यों)/बंधककर्ता(ओं)/जमानतदार(रों) द्वारा उसके भुगतान में विफलता के बाद उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक के बकाया की वसूली के लिए अधोहस्ताक्षरी **''जैसा है जहां है, जो भी वहां है तथा बिना सहारा के आधार पर''** उसकी बिक्री का प्रस्ताव करते हैं। नीचें दी गई संपत्तियों की बिक्री ई-नीलामी के माध्यम से वेब पोर्टल **https://www.bankeauctions.com** पर आयोजित की जावेगी।

अचल संपत्तियों का विवरण/ खाते/ राशि/ ईएमडी/ इत्यादी का विवरण

क्रं.	शाखा एवं खाता का नाम	संपत्ति के बंधककर्ता एवं जमानतदारों के नाम	संपत्ति का विवरण	मांग सूचना के अनुसार राशि / मांग सूचना दिनांक	निरिक्षण की तिथी एवं समय	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली बढ़ाने की राशि	ई-नीलामी की तिथी/समय	बोली प्राप्ती हेतु अंतिम तिथी	प्राधिकृत अधिकारी का नाम/फोन नं./ ई-मेल आईडी
1.	एचडीएफसी बैंक लि., इन्दौर मेसर्स इण्डोलेब्स लिमिटेड ए.बी. रोड़, पिगडंबर राऊ इन्दौर-453446 खाता क्रं. 0036279 0001289	**1. मेसर्स इण्डोलेब्स लिमिटेड** **जमानतदार** **2. स्व. श्री रमेश लुल्ला** उनके निम्न उल्लेखित क्रं. 3 से 5 तक कानूनी वारिसों द्वारा प्रतिनिधित्व **3. श्री धीरज लुल्ला** **4. श्री सिद्धार्थ लुल्ला** **5. स्व. श्री मनीष लुल्ला** उनके कानूनी वारिसों द्वारा प्रतिनिधित्व 5(ए) श्रीमती जेस्मिन लुल्ला 5(बी) कु. तान्या लुल्ला एवं 5 (सी) श्री तनिष्क लुल्ला **6. स्व. श्रीमती मंजू लुल्ला** उनके उपरोक्त उल्लेखित क्रं. 3 से 5 तक कानूनी वारिस साथ ही **(i) श्रीमती प्रिया लुल्ला पति धीरज लुल्ला एवं (ii) श्रीमती अंकिता लुल्ला पति सिद्धार्थ लुल्ला** द्वारा प्रतिनिधित्व	**1.** सर्वे नं. 51/3, प. हल्का नं. 01, ग्राम-पिगडंबर, ए.बी. रोड़, इन्दौर (म.प्र.) पर फेक्ट्री भूमि एवं भवन, जो **श्री रमेश लुल्ला** के नाम से है। गूगल मेप : 22.623776, 75.802354.	रू. 15,18,68,780.87 31/07/2012 को बकाया राशि आगे के ब्याज के साथ ब्याज का समावेश @18% प्रतिवर्ष, 01.08.2012 से मासिक के साथ क्रेडिट सुविधाओं के तहत पूर्ण और अंतिम भुगतान की तारीख तक, एवं दिनांक- 25/09/2012	11/07/2024 एवं समय- प्रात: 10.00 बजे के बाद	रू. 16,00,00,000/- रू. 1,60,00,000/- रू. 5,00,000/-	18/07/2024 प्रात: 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक	15/07/2024 सायं 4 बजे तक	आशिष रावत, मो.: 9981126266, Ashish.rawat9@hdfcbank.com सुनिल भानुशाली, मो.: 9323176985
			2. 115 त्रिवेणी कॉलोनी, इन्दौर पर आवासीय संपत्ति, जो **स्व. श्रीमती मंजु लुल्ला** के नाम से है। गूगल मेप : 22.700300, 75.848700			रू. 2,00,00,000/- रू. 20,00,000/- रू. 1,00,000/-	18/07/2024 दोपहर 1.00 बजे से दोपहर 03 बजे तक		

बंधक संपत्ति की वास्तविक फोटो

नियम एवं शर्तें

1. ई-नीलामी **''जैसा है जहां है, जो भी वहां है तथा बिना सहारा के आधार पर''** आयोजित की जा रही है।
2. इच्छुक बोलीदाता को लागिन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से वेबपोर्टल **https://www.bankeauctions.com** पर ईएमडी के विवरणों तथा दस्तावेजों को जमा करना होगा (यूजर आईडी तथा पासवर्ड **https://www.bankeauctions.com** पर नाम पंजीकृत कर नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है) ईएमडी का भुगतान अधोलिखित खाता नं. : 57500000904261 खाता का नाम : DFSO TRANSITORY ACCOUNT : DOC SERV, लाभार्थी का नाम : एचडीएफसी बैंक लि., आईएफएससी कोड : HDFC0000240 में एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा करना होगा। कृपया ध्यान दें कि चेक/डिमांड डाफ्ट ईएमडी राशि के रुप में स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
3. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी में बैंक के रिकॉर्ड अनुसार संपत्ति पर अन्य भार अर्थात संविधिक बकाया जैसे संपत्ति कर, सोसायटी बकाया आदि नहीं है। फिर भी बैंक, आदि कोई हो किसी भी वर्तमान/भूतकाल/भविष्य बकाया असंविधिक बकाया/संविधिक बकाया/अधिभारों/बकाया करों/मुकदमेबाजी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाता अधिभारों, संपत्ति/यों के टाइटल के विषय में अपनी स्वतंत्र जांच कर स्वयं को संतुष्ट कर लें। **संपत्ति का निरिक्षण उपर वर्णित तिथी एवं समय में ही किया जा सकता है।**
4. ईएमडी जमा किए होने वाले इच्छुक बोलीदाताओं जिन्हे लॉगीन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-नीलामी प्रक्रिया पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सहयोग अपेक्षित हो, वे हमारे सेवा प्रदाता **मे. सी 1 इंडिया प्रा. लि., प्लाट नं. 301, गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, उद्योग विहार, फेज-2, गुड़गांव, हेल्पलाईन नं. 0124-4302020/ 21/22/23/24, श्री मिथिलेश कुमार, मोबाईल : 7080804466 एवं श्री शिबु बाबू मो.: 9891628914**, हेल्पलाइन ई-मेल आईडी : **support@bankeauctions.com** से संपर्क करें तथा संपत्ति संबंधि पूछताछ के लिए **उपरोक्त संबंधित प्राधिकृत अधिकारी** से कार्यालय अवधि (प्रात: 10.00 बजे से 5.00 बजे) के दौरान कार्यदिवसों में संपर्क कर सकते है।
5. उच्चतम बोली एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की स्वीकृती के अधीन होगी। प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताए बिना प्राप्त किए गए किसी भी प्रस्तावों/बोलियों को स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार है। उनका निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।
6. **(विस्तृत नियमों एवं शर्तो के लिए कृपया हमारी वेबसाईट www.hdfcbank.com तथा www.bankeauctions.com देखें)**

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9(1) के तहत सांविधिक 15 दिनी बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के अंतर्गत ऋणियों एवं जमानतदारों को ऊपर लिखी गयी तिथि पर ई-नीलामी करने की सूचना के रुप में भी समझा जाएगा। ऋणी/जमानतदारों/बंधककर्ताओं/कानूनी उत्तराधिकारीयों को एतद्वारा नीलामी से 15 दिन पूर्व उपरोक्त अनुसार अद्यतन ब्याज और सहायक व्ययों सहित भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, अन्यथा संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जायेगी और बकाया देय राशि यदि कोई हो, की वसूली ब्याज और लागत सहित की जायेगी।

प्राधिकृत अधिकारी
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

दिनांक : 26.06.2024, स्थान : इंदौर